Helpline 1064   94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **भरतपुर में पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी थाना गोपालगढ़ व उसकी रीडर 1 लाख 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *28 जून/* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की अलवर–प्रथम इकाई द्वारा आज सोमवार को भरतपुर में कार्यवाही करते हुये सुरेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी, पुलिस थाना गोपालगढ़, जिला भरतपुर एवं सोनिया महिला कानि. (रीडर) को परिवादी से 1 लाख 50 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमें में मदद करने की एवज में सुरेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी, पुलिस थाना गोपालगढ़, जिला भरतपुर द्वारा अपनी रीडर सोनिया महिला कानि. के माध्यम से 10 लाख रूपये रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की अलवर–प्रथम इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री पदम सिंह निवासी संजय नगर, कलक्टर निवास के पास, भरतपुर हाल पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना गोपालगढ़, जिला भरतपुर एवं सोनिया कुमारी निवासी ग्राम जधीना, तहसील व जिला भरतपुर हाल महिला कानि. (रीडर) पुलिस थाना गोपालगढ़, जिला भरतपुर को परिवादी से 1 लाख 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उल्लेखनीय है कि आरोपियों द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान परिवादिया से 2 हजार रुपये रिश्वत के रूप में प्राप्त कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।